सं. 14/4/2008-प्रेस (भाग-1)

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर, 2008

समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश

प्रस्तावना

केन्द्र सरकार ने विदेशी निवेश रखने वाली अथवा विदेशी निवेश न रखने वाली भारतीय कम्पनी (कम्पनियों) को ऐसी विदेशी पत्रिकाओं जो समाचार और सार्वजनिक समाचार से संबंधित टिप्पणियों को प्रकाशित करती हैं अर्थात समाचार और समसामयिक मामलों की श्रेणी के तहत आने वाली पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित करती है, के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार के संस्करणों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों/प्रकाशक 26 प्रतिशत विदेशी निवेश प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा समय-समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दिशानिर्देशों के अनुसार (जिसमें प्रवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) द्वारा किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और मान्यता प्राप्त विदेशी सांस्थानिक निवेशकों (एफआईआई) द्वारा किया गया पोर्टफोलियो निवेश शामिल है) 26 प्रतिशत तक होगी।

1. पत्रिकाओं/आवधिक पत्रिकाओं की परिभाषा

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्यार्थ 'पत्रिका' को 'सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार के संबंध में टिप्पणियों वाले **गैर-प्रतिदिन आधार** पर प्रकाशित किए जाने वाले आवधिक प्रकाशन' के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

2. पात्रता :

विदेशी निवेश रखने वाली अथवा विदेशी निवेश न रखने वाली किसी भारतीय कम्पनी को समाचार और सम-सामयिक मामले क्षेत्र के तहत आने वाली किसी विदेशी पत्रिका के भारतीय संस्करण को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के संस्करणों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियां/प्रकाशक इस मंत्रालय द्वारा

समय-समय पर जारी किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार 26 प्रतिशत तक विदेशी निवेश प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3. <u>प्रकाशन के शीर्षक तथा इसके पंजीकरण का सत्यापन :</u>

पत्रिका के शीर्षक को प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत प्रचलित प्रक्रियाविधि के अनुसार भारतीय कम्पनियों/प्रकाशकों द्वारा सत्यापित कराया जाएगा तथा इसके बाद भारतीय समाचार-पत्र पंजीयक (आरएनआई) से पंजीकृत कराया जाएगा।

3. <u>आधारभूत शर्तें/कर्त्तव्य :</u>

इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने के मुख्य पैरामीटर इस प्रकार है :-

(क) यह कि उस विदेशी पत्रिका जिसके भारतीय संस्करण को प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया गया है, का प्रकाशक/स्वामी वास्तविक रूप से विख्यात हो।

(ख) इस प्रकार के संस्करणों को प्रकाशित करने की अनुमति केवल उन कम्पनियों/प्रकाशकों को ही प्रदान की जाएगी जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कम्पनी पंजीयक से भारतीय कम्पनी के रूप में पंजीकृत है।

(ग) भारतीय कम्पनियों को विदेशी पत्रिकाओं के स्वामियों के साथ भारत सरकार द्वारा इस मामले पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और विनियमों की शर्त के अधीन वित्तीय व्यवस्था (जैसे रॉयल्टी भुगतान व्यवस्था इत्यादि) करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(घ) आवेदक भारतीय कम्पनी के निदेशक मंडल के कम से कम 3/4 निदेशक और सभी मुख्य कार्यकारी तथा सम्पादक कर्मचारी निवासी भारतीय होने चाहिए।

(ङ) आवेदक भारतीय कम्पनी निर्धारित पात्रता मानदण्ड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संगम ज्ञापन/अंतर्नियम बनाएगी।

(च) एक समान रूप से संबंधित विदेशी पत्रिका की 100 प्रतिशत निर्धारित विषय-वस्तु की अनुमति प्रदान की जाएगी और भारतीय प्रकाशक इसमें स्थानीय विषय-वस्तु तथा विज्ञापन शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(छ) इस प्रकार की अनुमति केवल ऐसी पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए प्रदान की जा सकती है जो अपने मूल देश में उन देशों की संबंधित सरकारों के विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, ऐसे मामलों में जहां इस प्रकार का अनुमोदन सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है, से प्रकाशित की जा रही है।

(ज) इस प्रकार का प्रस्तावित प्रकाशन कम से कम 5 वर्ष की अवधि से लगातार प्रकाशित किया गया है और वह प्रकाशन अपने संबंधित मूल देश में पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 10,000 प्रतियों के विक्रय का प्रसारण होना चाहिए। सतत् प्रकाशन और प्रसारण की अवधि को उस देश के संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और यदि इस प्रकार के मामलों को विनियमित करने वाला ऐसा कोई सरकारी प्राधिकरण नहीं है तो इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रमाणन के कार्य में कार्यरत संबंधित तथा मान्यता प्राप्त अभिकरणों से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(झ) भारत में किसी विदेशी पत्रिका के भारतीय संस्करण को प्रकाशित करने वाली कोई भारतीय कम्पनी भारतीय समाचार पत्रिकाओं तथा उनके प्रकाशकों पर लागू प्रासंगिक कानूनों तथा दिशानिर्देशों की शर्त के अधीन होगी।

(ञ) आवेदक कम्पनी आवेदन के समय इस प्रकार के भारतीय संस्करण को प्रकाशित करने के लिए किसी विदेशी कम्पनी के साथ किए गए लाइसेंस करार/वित्तीय व्यवस्था के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करेगी। इसके बाद किए गए किसी परिवर्तन के संबंध में इस प्रकार के परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को जानकारी प्रदान की जाएगी।

(ट) आवेदक कम्पनी निवासी भारतीय निदेशकों अथवा मुख्य कार्यकारियों और सम्पादक कर्मचारियों की स्थिति में किए गए किसी परिवर्तन के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 15 दिन के भीतर सूचित करेगी। इस प्रकार का परिवर्तन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्योत्तर अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।

(ठ) आवेदक कम्पनी को किसी वर्ष में 60 दिन से अधिक अवधि के लिए रोजगार पर रखे जाने वाले/रोजगार में लगाए जाने वाले प्रस्तावित किसी विदेशी/प्रवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति चाहे वह परामर्शदाता के रूप में अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में अथवा किसी अन्य पद पर तैनात किया गया हो, के नामों और इसके ब्यौरे को सूचित करेगी। यदि बाद में इस प्रकार के व्यक्तियों की सेवाओं के संबंध में सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तो कम्पनी को उन्हें हटाना होगा।

(ड) आवेदक कम्पनी ऐसे सभी व्यक्तियों जो भारत में निवास नहीं करते और जिन्हें कम्पनी के निदेशक मंडल/मुख्य कार्यकारियों/सम्पादक कर्मचारियों में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(ढ) आवेदक कम्पनी जब भी आवश्यकता होगी विदेशी पत्रिका के भारतीय संस्करण को प्रकाशित करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की सरकारी अभिकरणों को जांच करने की अनुमति प्रदान करेगी।

(ण) यदि अनुमति प्रदान करने की विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अथवा जनहित में अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कम्पनी की इस प्रकार की अनुमति को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा पूरे समय के लिए निलम्बित करने/वापस लेने/रद्द करने का अधिकार होगा। कम्पनी इस संबंध में जारी किए गए निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगी।

(त) यदि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस प्रकार के प्रकाशन के अनुमोदन को निलंबित कर दिया है/वापस ले लिया है/रद्द कर दिया है तो कम्पनी उस पत्रिका के भारतीय संस्करण के प्रकाशन को बंद कर देगी।

(थ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को जब भी आवश्यकता होगी इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने का अधिकार होगा।

5. <u>आवेदन प्रक्रियाविधि :</u>

(i) अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरे गए निर्धारित आवेदन फार्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) आवेदन शुल्क 20,000 रू. (बीस हजार रू. केवल) को भुगतान और लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा।

अंग्रेजी/हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में मूल विदेशी पत्रिका के होने मामले में आवेदन के साथ पत्रिका के पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक संस्करण का प्रमाणित/अधिप्रमाणित लिप्यंतरण मूल प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाए। मूल विदेशी पत्रिका का प्रकाशक प्रमाणन/अधिप्रमाणन करेगा।

6. <u>आवेदन पर कार्यवाही करना :</u>

समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित विदेशी पत्रिका के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन संबंधी सभी नए आवेदनों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कारपोरेट मंत्रालय तथा यथा-अपेक्षित अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श के आधार पर कार्यवाही की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।